



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1973 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री ओमप्रकाश सिंह (बुलन्दशहर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, मेरठ।	विद्युत वितरण मण्डल, लोनी।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1973 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, लोनी।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, मेरठ।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1974 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री रामानन्द सागर (मेरठ)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, नोएडा।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1974 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, नोएडा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1975/पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अरूण कुमार (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1975 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1976 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री कपिल कुमार (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ में (विद्युत वितरण मण्डल, बागपत हेतु)

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1976 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1977 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजेश कुमार (बुलन्दशहर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1977 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1978 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री रविन्द्र नाथ टेगौर (सोनभद्र)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1978 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1979 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संजय सिंह (कौशाम्बी)	विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर (हापुड मण्डल हेतु)

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1979 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद / हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1980 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री मदन पाल सिंह (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1980 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1981 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री भूषण चन्द त्यागी (मुजफ्फरनगर)	विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1981 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1982 / पविनिनि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	मौ० आफताब आलम (चन्दौसी)	विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1982 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1983 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री शैलेश कुमार सिंह (सोनभद्र)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1983 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1984 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राधा कृष्ण राम (बलिया)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1984 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1985 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अनिल कुमार चौरसिया (सन्त कबीर नगर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1985 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1986 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सुभाष यादव (जौनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-षष्ठम, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1986 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-षष्ठम, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1987 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/ गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा (कानपुर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1987 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1988 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार (बुलन्दशहर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1988 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1989 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रमोद कुमार मित्तल (मुजफ्फरनगर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड--द्वितीय, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1989 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल--द्वितीय, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड--द्वितीय, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1990 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री साबिर अली (बुलन्दशहर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-सप्तम, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1990 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-तृतीय, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-सप्तम, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1991 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1991 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1992 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संतोष कुमार सिंह (वाराणसी)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-अष्टम, गाजियाबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1992 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-अष्टम, गाजियाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1993 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सोम सिंह (मुजफ्फरनगर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मेरठ।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1993 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मेरठ।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1994 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री धर्म प्रकाश गुप्ता (बिलाई)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1994 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1995 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री विरेन्द्र कुमार (मेरठ)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1995 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1996/पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री ब्रह्मजीत (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, मेरठ।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1996 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, मेरठ।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जर्यकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1997 / पविनिनि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री धर्मेन्द्र सिंह (कानपुर)	विद्युत वितरण खण्ड, मवाना।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1997 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मवाना।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1998 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश कुमार (मुजफ्फरनगर)	विद्युत वितरण खण्ड, बागपत।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्थ होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1998 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बागपत।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1999 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सन्दीप कुमार (शामली)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बडौत।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1999 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बडौत।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2000/पविनिनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री योगेन्द्र सिंह (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2000 (i)/पविनिनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2001 / पविनिनि/ मे०/ हा०/ ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अनिल सिंह (मिर्जापुर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2001 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2002 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री देवेन्द्र सिंह (गाजियाबाद)	विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर (विद्युत वितरण मण्डल, हापुड हेतु)

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2002 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ / गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2003 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सुन्दर लाल (मेरठ)	विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2003 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मेरठ/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2004 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संजय सिंह यादव (गाजीपुर)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्च होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2004 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2005 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संतोष कुमार (भदौही)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2005 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2006 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री नीरज शर्मा (सहारनपुर)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2006 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अनुज कुमार (सहारनपुर)	विद्युत परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2007 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजनारायण यादव (गाजीपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2008 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2009 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राधा सिंह (सहारनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड—द्वितीय, मुजफ्फरनगर।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2009 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड—द्वितीय, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2010 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संजीव कुमार (सहारनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2010 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2011 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री पवन कुमार (बागपत)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2011 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जमकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अभय कुमार सिंह (मिर्जापुर)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2012 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2013/पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सत्यप्रकाश (कासगंज)	विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2013 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2014 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अजीज मुस्तफा (हरिद्वार)	विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द ।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2014 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2015 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अजय कुमार यादव (गोरखपुर)	विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2015 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2016 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री पंकज मलिक (मुजफ्फरनगर)	विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2016 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2017 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सोमेश कर्णवाल (शामली)	विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2017 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2018 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सतेन्द्र कुमार (मिर्जापुर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2018 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2019 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री विजय पाल सिंह (मुजफ्फरनगर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2019 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(ज्योती कृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2020 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राम आशीष कुशवाहा (गाजीपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2020 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2021 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार, (मुजफ्फरनगर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2021 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2022 / पविनिनि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रमोद कुमार (सहारनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।	विद्युत निर्माण एवं कार्य मण्डल-प्रथम, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2022 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत निर्माण एवं कार्य मण्डल-प्रथम, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2023 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संदीप कुमार (मुजफ्फरनगर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2023 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2024 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री भरत वर्मा (जौनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2024 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2025 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजीव कुमार (बुलन्दशहर)	विद्युत परीक्षण खण्ड, शामली।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2025 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, शामली।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2026 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा (मुजफ्फरनगर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, शामली।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2026 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, शामली।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2027 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री हृदयनारायण (गौरखपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2027 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2028 / पविनिनि/ मे०/ हा०/ ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री तेजपाल सिंह (सहारनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2028 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2029 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजेश कुमार (सोनभद्र)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2029 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2030 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री ऋषिकान्त गौड (बलिया)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2030 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2031/पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री खेम चन्द्र (सहारनपुर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2031 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2032 / पविनिनि/ मे०/ हा०/ ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/ गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राम सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र)	विद्युत परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2032 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/ मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2033 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री कुलदीप कुमार (बिजनौर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2033 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2034 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अखिलेश कुमार (रामपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्त्र होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2034 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2035 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री छत्रपाल सिंह (रामपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2035 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2036 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश कुमार (अमरोहा)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2036 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2037 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री हुकम सिंह राणा (बिजनौर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2037 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2038 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री उमेश कुमार शर्मा (अमरोहा)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2038 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2039 / पविनिनि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार सन्त (बिजनौर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2039 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2040 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री पंकज कुमार उपाध्याय (वाराणसी)	विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्त्र होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2040 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2041/पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश कुमार (गाजीपुर)	विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2041 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2042 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री जसपाल सिंह (मुजफ्फरनगर)	विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2042 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2043 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश कुमार मौर्य (मिर्जापुर)	विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2043 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2044 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री देवराज सिंह (बिजनौर)	विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2044 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सम्भल।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2045 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अमित कुमार कटियार (कानपुर)	विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल।	गाजियबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2045 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सम्भल।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2046 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री रामनिवास शर्मा (अलीगढ़)	विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2046 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सम्भल।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2047 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यरहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रमिल कुमार वर्मा (रामपुर)	विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2047 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2048 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अर्जुन कुमार (रामपुर)	विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2048 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2049 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री नरेश कुमार (बिजनौर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2049 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2050 / पविनिनि/ मे०/ हा०/ ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री मौ० इकबाल (बिजनौर)	विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2050 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2051 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सुरेश कुमार वर्मा (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2051 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2052 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री उदय राज सिंह (बिजनौर)	विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2052 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2053 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री जावेद अखतर (मुरादाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2053 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2054 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अखिलेश कुमार मल्ल (मऊ)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, रामपुर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2054 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, रामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2055 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री हरीश कुमार (मुजफ्फरनगर)	विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2055 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(अधिकृत)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2056 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री गजेन्द्र कुमार (मुरादाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2056 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2057 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार (सहारनपुर)	विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2057 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2058 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रकाश सिंह (जे०पी०नगर)	विद्युत वितरण खण्ड, नजीबाबाद।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2058 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नजीबाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001

सं० 2059 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सतीश कुमार राणा (एटा)	विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2059 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2060 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री हर्ष शर्मा (मुरादाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2060 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2061 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री चेताराम (रामपुर)	विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2061 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद /सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2062 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री जय सिंह (कन्नौज)	विद्युत वितरण खण्ड, गजरौला।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2062 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गजरौला।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2063 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह (मुरादाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड, गजरौला।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2063 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गजरौला।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2064 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री लोकनाथ सिंह (चन्दौली)	विद्युत परीक्षण खण्ड, अमरोहा।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2064 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, अमरोहा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)

9-5-18



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2065 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सुन्दर पाल (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।	विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2065 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2066/पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री प्रदीप चन्द्र घिल्डियाल (पोढी गढ़वाल)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2066 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2067 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री जय हिन्द (गोरखपुर)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2067 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2068 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सतीश कुमार रावत (गोरखपुर)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।	विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2068 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2069 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री शिव अवतार शर्मा (रामपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2069 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2070 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अजय कुमार (बिजनौर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।	गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2070 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(ज्योती कृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2071 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री दया राम (बिजनौर)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2071 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2072 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री इबादुल्लाह खान (रामपुर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2072 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जम्बकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2073 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री साहब सिंह (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2073 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2074 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजेश कुमार (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2074 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय / मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2075 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री भास्कर गुप्ता (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2075 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2076 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री सुन्दर कुमार (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड, गढ़मुक्तेश्वर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्त्र होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2076 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गढ़मुक्तेश्वर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2077 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री कुंवरपाल शर्मा (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड, गढ़मुक्तेश्वर।	मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्त्र होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2077 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गढ़मुक्तेश्वर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2078 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री पवन वर्मा (मथुरा)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, हापुड।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2078 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, हापुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा10)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2079 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री नीरज गुप्ता (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, हापुड।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2079 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, हापुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2080 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री शंकर प्रसाद (सोनभद्र)	विद्युत वितरण खण्ड, जहाँगीराबाद।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2080 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-तृतीय, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जहाँगीराबाद।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2081 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अजय कुमार (आगरा)	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2081 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2082 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री किरनपाल (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, स्याना।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2082 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, स्याना।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2083 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री जकारिया अंसारी (इलाहाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, स्याना।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2083 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, स्याना।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2084 / पविनिनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा (गाजियाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, स्याना।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2084 (i) / पविनिनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, स्याना।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2085 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री रामू प्रसाद पटेल (इलाहाबाद)	विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2085 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2086 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजेश कुमार (आगरा)	विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2086 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2087 /पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री उमाशंकर सक्सैना (फर्रुखाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2087 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2088 / पविनिनि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री योगेश चन्द शर्मा (सहारनपुर)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2088 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय/मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2089 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री साजिद अहमद (गाजियाबाद)	विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2089 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2090 / पविविनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राजकुमार गिरी (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, नोएडा।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2090 (i) / पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, नोएडा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2091/पविविनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार तिवारी (बुलन्दशहर)	विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, नोएडा।	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्थ होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2091 (i)/पविविनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, नोएडा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2092 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री भूषण कुमार (मेरठ)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2092(i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा10)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 2093 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्यहित में स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री योगेन्द्र (मेरठ)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2093 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।


(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)

**CIN : U31200UP2003SGC027458**

सं० 2094 / पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री देवेन्द्र सिंह (बुलन्दशहर)	विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 2094 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), सहारनपुर/गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नकुड।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
6. कट फाइल।

(जयकृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)